झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

जिला	पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

*जिला– पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के **Category-2** के बालूघाट/बालूघाटों के समूह की ई–नीलामी हेतु निविदा दस्तावेज*

https://www.jharkhandtenders.gov.in

ई–नीलामी हेतु निविदा दस्तावेज में निम्नांकित विवरण हैः–

क्र०	दस्तावेज की विवरणी	पृष्ठ संख्या
1	निविदा के बावत् प्रक्रिया, शर्त्त एवं बंधेज (अनुलग्नक–1)	01–12
2	ई–नीलामी हेतु बालूघाट की विवरणी (अनुलग्नक –2)	13
3	तकनीकि निविदा का प्रपत्र (अनुलग्नक –3)	14–15
4	आवंटन हेतु चिन्हित कुल बालूघाट की विवरणी (अनुलग्नक–4)	16
5	घोषणा पत्र का प्रारूप (अनुलग्नक–5)	17

जिला खनन कार्यालय

.....

निविदा दस्तावेज

(1) पंजीयन की प्रक्रिया :–

(i) ई–ऑक्शन प्रक्रिया में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को सर्वप्रथम ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.jharkhandtenders.gov.in में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यदि बोलीदाता द्वारा पूर्व में ई–ऑक्शन में भाग लेने हेतु पंजीयन कराया जा चुका हो, तो पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। संभावित बोलीदाताओं को नीलामी में भाग लेने हेतु एक वैध श्रेणी–3 डिजिटल हस्ताक्षर (signature+Encryption) एवं यूजर आई0डी0 प्राप्त करना अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु संबंधित बोलीदाता के पास एक वैध ई–मेल आई0डी0 होना अनिवार्य है।

(ii) ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.jharkhandtenders.gov.in पर पंजीयन लिंक के द्वारा सर्वप्रथम पंजीयन करना होगा। पंजीयन पर क्लिक करने पर एक नई ऑनलाईन प्रपत्र में दर्शाये गये विवरण को दर्ज करना होगा। सम्पूर्ण विवरण दर्ज करने के पश्चात आपको नियम एवं शर्तो को स्वीकार करना होगा तथा विंडों में दर्शित **CAPTCHA** को दर्ज कर अपना पंजीयन कराना होगा।

(iii) इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात पोर्टल के विडों पर निविदादाता द्वारा किया गया पंजीयन सफलतापूर्वक किया गया है, इसका संदेश प्राप्त होगा। यदि आवश्यकता हो तो संबंधित प्रपत्र का प्रिंट आउट भी प्राप्त कर सकते हैं।

(iv) उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत आपको यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। इस यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड का उपयोग नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कर सकेंगे।

(2) बालूघाटों की आवंटन हेतु नीलामी की शर्त्त एवं बंधेज :–

(i) प्रत्येक **बालूघाट/बालू घाटों के समूह** को एक इकाई बालूघाट मानते हुए प्रत्येक इकाई के लिए अलग–अलग निविदा कागजात को ई–नीलामी पोर्टल से डाउनलोड करना होगा एवं अलग–अलग अग्रधन राशि के साथ निविदा देनी होगी।

(ii) एक व्यक्ति/समिति/फर्म/कम्पनी को अधिकतम बालू घाटों की आवंटन के रकबा के बावत् शर्त्ते प्रषासनिक दृष्टिकोण से The Jharkhand Sand Mining Rules, 2025 के नियम–5 का अनुपालन करते हुए जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(iii) आवंटन ई–निविदा–सह–नीलामी प्रक्रिया द्वारा की जायेगी।

(3) पात्रता :– निबंधित कम्पनियॉ, पार्टनरशीप, सोसाईटी, सहकारी संस्था सहित, सोल प्रोपराईटरशीप, व्यक्तियों और संस्थाओं के भागीदार को पात्रता के निम्नांकित मानदण्डों को पूरा करना होगा :–

(i) भारत का नागरिक होना।

(ii) पैन कार्ड धारी होना।

(iii) रॉयल्टी/जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र का होना :–

संबंधित जिला से जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र/पूर्व से निबंधित नहीं रहने पर एक माह के अंदर निबंधन करा लेने संबंधी घोषणा–पत्र/शपथ–पत्र।

(iv) पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वर्ष 2022–23, 2023.24 एवं 2024–25) के दौरान बीडर का औसत वार्षिक टर्नओभर उसके द्वारा बीड किये गये बालूघाट के सुरक्षित मूल्य के 35 प्रतिशत् से कम नही होना चाहिए। भागीदारी की दशा में, सभी सदस्यों के संयुक्त तकनीकी और वित्तीय क्षमता पर पात्रता के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

(v) खान एवं भूतत्व विभाग एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय में किसी प्रकार का कोई बकाया नहीं हो। बकाया राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दर्ज रहने पर निविदा के लिए पात्र नहीं होंगे।

(vi) किसी राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग/निगम/उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो।

(4) निविदा देने की प्रकिया :–

केवल ऑन लाईन पद्धति ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.jharkhandtenders.gov.in के माध्यम से निविदा आवेदन किया जायेगा

(5) ई–ऑक्शन की प्रक्रिया :–

(i) नीलामी की सूचना में दर्शित समय के पूर्व इच्छुक व्यक्ति को https://www.jharkhandtenders.gov.in पोर्टल में पंजीयन के समय प्राप्त यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड प्रविष्टि करना होगा।

(ii) पोर्टल में प्रविष्टि के उपरांत एक्टिविटी विंडों में क्लिक करना होगा। इस विंडों में क्लिक के उपरांत आवेदक को ऑक्शन का चयन करना होगा।

(iii) अग्रधन राषि एवं आवेदन शुल्क सफलता पूर्वक जमा करने के पश्चात् बोलीदाता https://www.jharkhandtenders.gov.in द्वारा प्रदान किये गये यूजर आई0डी0 का उपयोग करते हुए लॉगिन करेंगे एवं भुगतान रसीद के साथ सभी वांछित कागजात अपलोड करेंगे।

(iv) ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.jharkhandtenders.gov.in के माध्यम से Tender-cum-Auction (After Financial Opening) Mode में ई–नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी, जिसका Process Flow निम्न प्रकार है :–

Technical Evaluation → Financial Opening → Auction → Financial Evaluation → Contract Award.

(नोटः– पोर्टल के माध्यम से निविदा दो Cover System में समर्पित की जानी है यथा 1. तकनीकी एवं 2. प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव (Initial Price Offer)''

(6) तकनीकि निविदा के लिए निम्नांकित कागजात पोर्टल पर अपलोड किया जाना होगा :–

(क) निविदा देने वाले को कुल सुरक्षित राशि का 10 प्रतिशत, अग्रधन (Earnest Money) की राषि के रूप में केवल ऑनलाईन जमा ली जाएगी।

(ख) निविदा के बावत् प्रक्रिया शर्त्तों एवं बंधेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर के साथ हस्ताक्षर।

(ग) निविदा आवेदन पर मुहर के साथ हस्ताक्षर।

(घ) पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित फोटोप्रति।

(च) संबंधित जिला में पूर्व में अगर निविदादाता द्वारा वृहत खनिज का खनन पट्टा अथवा लघु खनिज का खनन पट्टा/अनुज्ञप्ति धारित हो अथवा स्टॉकिस्ट अनुज्ञप्ति लिया गया हो तो संबंधित जिले के जिला खनन पदाधिकारी से बकाया रहित प्रमाण पत्र लेकर जमा करना होगा। यदि निविदादाता पूर्व में कोई आवंटन/खनन पट्टा/अनुज्ञप्ति नहीं लिये हो तो इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना

होगा। बकाया राशि की वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद दर्ज रहने पर निविदा के लिए पात्र नहीं होंगे।

(छ) जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र/पूर्व से निबंधित नही रहने पर एक माह के अन्दर निबंधन करा लेने संबंधी शपथ पत्र। GST प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पष्चात् ही खनिज के प्रेषण के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी।

(ज) फर्म/HUF/प्राईवेट लि0 कम्पनी के मामले में अद्यतन लेखा (Balance sheet)।

(झ) समिति के मामले मे अंकेक्षण रिपोर्ट।

(ञ) चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा सत्यापित् **वित्तीय वर्ष** 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 का वार्षिक लेखा।

(ट) **वित्तीय वर्ष** 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के आयकर रिर्टन की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(ठ) मेमोरेण्डम/आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन/उप नियम। (व्यक्ति विशेष को छोड़कर अन्य मामले में)

(ड) साझेदारी के मामले में साझेदारी दस्तावेज का स्व अभिप्रमाणित प्रति।

(ढ) स्वअभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साईज फोटों।

(ण) इस आशय का शपथ पत्र कि निविदादाता/पार्टनरशिप फर्म/HUF/कंपनी को राज्य/केन्द्र सरकार के किसी विभाग/उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

(त) निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न घोषणा पत्र पर सहमति (निविदादाता के लेटर हेड पर), हस्ताक्षर एवं मुहर सहित।

(7) बोली लगाते समय बोलीदाता के सभी आई0टी0 संसाधनों एवं उपकरणो के सुचारू रूप से कार्य करने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से बोलीदाता की होगी। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या एवं इन्टरनेट विच्छेद संबंधी मामलो में संबंधित निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस कारण से हुई क्षति के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(8) सभी इच्छुक निविदादाता ई–नीलामी हेतु पंजीकरण करने एवं ऑन–लाईन आवेदन करने से पूर्व नियम एवं शर्त्तो को अच्छी तरह से पढ़ ले। आवेदन करने के बाद यह माना जायेगा कि निविदादाताओं द्वारा नियम एवं शर्त्तो को ध्यान से पढ़ लिया गया है तथा सभी नियम शर्त्ते उनको मान्य है। बाद में इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति अस्वीकार्य होगा।

(9) नीलामी की तिथि एवं समय ई–नीलामी कार्यक्रम में उल्लेखित है। सभी इच्छुक बोलीदाता यह सुनिश्चित हो लेंगे कि ई–नीलामी से संबंधित अपने सभी आई0टी0 संसाधनो एवं उपकरणों की समुचित जाँच कर ली है एवं निर्धारित नीलामी कार्यक्रम के अनुसार ही भाग लेंगे।

(10) निविदा दस्तावेज शुल्क अप्रतिदेय (Non-Refundable) होगा। अतः राशि वापसी से संबंधित किसी भी प्रकार के अनुरोध अथवा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दावा अनुरक्षणीय (Non-Maintainable) होगा।

(11) सभी प्राप्त निविदा के कागजातों को डाउनलोड करने के पश्चात् जिला स्तरीय समिति द्वारा दस्तावेजों की जाँच की जायेगी। केवल वैध दस्तावेज समर्पित करने वाले निविदादाताओं का ही प्रारंभिक वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाएगा तथा उन्हें ही ई–नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु स्वीकृति दी जायेगी।

(12) तकनीकी सफल डाकवक्ताओं का प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव, जो डाकवक्ताओं द्वारा निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न BoQ में समर्पित किया जाएगा, का मूल्यांकन जिलास्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा तथा उच्चतम वित्तीय डाक (डाकवक्ता की विवरणी गोपनीय रखते हुए) को घोषित किया जाएगा। यह उच्चतम डाक Forward ई–नीलामी की प्रक्रिया हेतु Base Price होगा, जिसकी विवरणी ई–नीलामी की तिथि सहित नीलामी पोर्टल में ससमय प्रविष्टि की जाएगी। निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि के अगले कार्य दिवस से तकनीकी निविदा की जिला स्तरीय समिति द्वारा जाँच/मूल्यांकन कर सफल निविदादाताओं की सूची सिस्टम में अपलोड करने तथा प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव के मूल्यांकन की तिथि के मध्यावधि, निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी द्वारा निविदा को खोला जायेगा।

(13) ऑक्शन मोड के चयन के उपरांत निविदादाता को संबंधित सम्पदा का चयन करना होगा, जिसके उपरान्त नीलामी में प्रदर्शित सम्पदाओं की सूची विंडों में प्रदर्शित होगी।

(14) प्रत्येक बोलीदाता के कम्प्यूटर विंडों पर अन्य बोलीदाताओं की सर्वोच्च बोली ही प्रदर्शित होगी। बोलीदाता के नाम तथा पहचान पूर्णतः गोपनीय होगी।

(15) आवश्यकता पड़ने पर ऑन–लाईन निविदा प्रक्रिया प्रांरभ होने के पश्चात्, किन्तु प्रक्रिया पूर्ण होने के पूर्व कभी भी लिखित सूचना निर्गत कर नीलामी कार्यक्रम में परिर्वतन किया जा सकता है, जो मात्र ऑन–लाईन प्रदर्शित होगा। अतः बोलीदाता को https://www.jharkhandtenders.gov.in पोर्टल से सूचना देखते रहना होगा। बोलीदाता की ये जम्मेवारी होगा की वह पोर्टल का अवलोकन करते रहे। किसी अन्य माध्यम से सूचना नही दी जायेगी।

(16) किसी विशिष्ट सम्पदा के ई–नीलामी की प्रक्रिया में निर्धारित समय सीमा के अंतिम 05 मिनट में यदि किसी बोलीदाता द्वारा बोली समर्पित की जाती है तो सिस्टम द्वारा स्वतः बोली समाप्ति की अवधि को केवल एक बार मात्र अगले पचपन मिनट (55 minutes) की अवधि के लिए विस्तारित कर दिया जायेगा। उसके बाद अवधि विस्तार नहीं किया जायेगा।

(17) सफलतम बोलीकर्ता को स्वचालित सिस्टम द्वारा ई–मेल एवं पोर्टल के माध्यम से उच्चतम बोलीकर्त्ता होने की सूचना दी जाएगी।

(18) ई–नीलामी की प्रक्रिया के तहत बोलीदाताओ द्वारा यदि किसी प्रकार की अनियमितता अथवा भ्रष्ट आचरण का प्रयोग किया जाता है तो उस नीलामी प्रक्रिया को तत्काल स्थगित किया जा सकता है। निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार संबंधित जिलास्तरीय समिति के पूर्ण विवेकाधिकार में होगा।

(19) बालूघाटों की आवंटन की प्रक्रिया एवं सफल निविदादाता का चयनः–

(i) बालूघाटों की आवंटन उच्चतम डाकवक्ता/बोलीदाता के पक्ष में ई– निविदा–सह–नीलामी (e-tendering-cum-auction) के माध्यम से उन निविदादाताओं के बीच से की जाएगी जिनकी तकनीकी निविदा, निविदा दस्तावेजों में वर्णित पात्रताओं की शर्त्तों के अनुसार उपयुक्त पाई जाएगी।

(ii) जो व्यक्ति/समिति/फर्म/HUF/कम्पनी तकनीकी निविदा में सफल होंगे, सिर्फ उन्हीं निविदादाताओं को ई–नीलामी में भाग लेने का मौका दिया जायेगा। ई–नीलामी में जो उच्चतम डाकवक्ता होंगे वही सफल निविदादाता माने जायेंगे।

(iii) उच्चतम निविदादाता/डाकवक्ता द्वारा आवंटन लेने से इन्कार करने या निर्धारित अवधि में अन्य औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करने पर या असफल रहने पर उनकी जमा अग्रधन जप्त कर ली जायेगी एवं अगले 02 वर्ष के लिए निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।

(iv) ई–नीलामी में न्यूनतम बोली की बढ़ोतरी राशि (Incremental Value) निम्नवत होगी :–

SL. No.	Reserve Price (RP)	Minimum Incremental Bid Amount
1	Upto 1 Cr.	10% of R.P
2	More than 1 Cr. and upto 10 cr.	5% of R.P
3	More than 10 Cr. and upto 100 cr.	3% of R.P
4	More than 100 Cr.	2% of R.P

(v) तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं द्वारा ई–नीलामी में भाग नहीं लेने के कारण नीलामी विफल हो जाने पर तकनीकी निविदा में सफल सभी निविदादाताओं की अग्रधन राशि जप्त कर ली जाएगी।

(vi) एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में पुनः अल्प निविदा आमंत्रित की जायेगी। दूसरी बार भी यदि और कोई निविदादाता नहीं आते हैं, तो एकल निविदा को सुरक्षित जमा के उपर बोली की स्थिति में समिति की अनुशंसा के साथ प्रमण्डलीय आयुक्त को भेजा जाएगा एवं प्रमण्डलीय आयुक्त के अनुमोदनोपरान्त एकल निविदादाता के पक्ष में बालूघाटो का नियमानुसार आवंटन उपायुक्त द्वारा की जा सकेगी।

(vii) नीलामी राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए आवंटन की राशि मानी जाएगी दूसरे एवं उसके बाद की आवंटन राशि गत वर्ष की आवंटन राशि के 110 प्रतिशत के बराबर होगी।

(viii) अपेक्षित दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करने, अपेक्षित राशि के भुगतान, पट्टा संविदा के निष्पादन के बाद कार्य–आदेश उच्चतम डाकवक्ता के पक्ष में निर्गत किया जाएगा।

(ix) खनन पट्टाधारीआवंटन अवधि के दौरान नियमों/निविदा दस्तावेज के अधीन किये गये प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण खनन एवं अन्य देय करों का भुगतान करेगा।

(20) सफल निविदादाता के चयन के बाद की औपचारिकताएँ :–

i. Preferred Bidder द्वारा, Letter of Intent निर्गत होने के 15 कार्य दिवस के अन्दर Annual Mineral Concessional Value as quoted in the auction का 10 प्रतिषत राषि Performance Security के रूप में संबंधित जिला खनन कार्यालय में, ऑनलाईन जमा करना होगा।

ii. अग्रधन राशि आवंटन अवधि की समाप्ति के बाद लौटायी जाएगी बशर्त्ते कि कोई अन्य बकाया वसूल नहीं किया जाना हो। अग्रधन राशि पर किसी तरह का कोई ब्याज देय नहीं होगा।

iii. अग्रधन राषि और नीलामी की किस्तों का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से स्वीकार किया जायेगा जो–

(क) किसी व्यक्ति की दशा में ऑनलाईन राशि अंतरण अपने स्वयं के बैंक खाते से किया जाएगा।

(ख) भागीदारी फर्म/HUF की दशा में ऑनलाईन राशि अंतरण संबंधित फर्म अथवा उसके भागीदारों के बैंक खाते से किया जाएगा।

(ग) कंपनी की दशा में ऑनलाईन राशि अंतरण संबंधित कंपनी या उसके प्रबंध निदेशक या उसके संबंधित निदेशकों के खाते से किया जाएगा।

(घ) किसी भी कारण से ई–नीलामी रद्द होने के मामलें में, सफल डाकवक्ता द्वारा जमा की गई कोई भी राशि, जिसमें अग्रधन राशि आदि शामिल हो, को उपायुक्त के विवेकाधिकार पर वापस किया जाएगा। हालांकि इस संबंध में किसी तरह का ब्याज अथवा मुआवजे एवं नुकसान आदि के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(21) वैधानिक अनापत्तिः– बालूघाट संचालन हेतु आवश्यक समस्त वैधानिक अनापत्ति/अनुमति (जैसेः– खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, जल एवं वायु सहमति आदि सफल डाकवक्ता द्वारा प्राप्त की जाएगी। (यदि सफल डाकवक्ता द्वारा बालूघाटों के समूह को एक इकाई मानते हुए नीलामी में भाग लिया गया है तो सभी प्रकार का वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्रत्येक बालूघाट के लिए अलग–अलग प्राप्त करना होगा।) वैधानिक अनापत्ति/अनुमति के पष्चात् ही बालू खनन प्रारंभ किया जा सकेगा। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति के बिना अथवा वैधानिक अनापत्ति/अनुमति में अनुज्ञात मात्रा से अधिक मात्रा या निर्धारित क्षेत्र से बाहर खनन किए जाने की दशा में सुसंगत नियमों के अनुसार संबंधित सफल डाकवक्ता/खनन पट्टाधारीपर कार्रवाई की जाएगी। वैधानिक अनापत्ति/अनुमति निम्नानुसार हैः–

i. **खनन योजनाः–** खनन योजना प्रभावी नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सफल डाकवक्ता/खनन पट्टाधारीद्वारा RQP से तैयार कर राज्य सरकार/निदेषक, खान द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष लेटर ऑफ इंटेंट निर्गत होने से 30 दिनों के अन्दर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। खनन योजना बनाने पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित खनिज डाकवक्ता/खनन पट्टाधारीद्वारा किया जायेगा।

ii. **पर्यावरणीय स्वीकृतिः–** सफल डाकवक्ता/खनन पट्टाधारीखनन योजना अनुमोदन के 15 दिनों के अन्दर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) के लिए प्रस्ताव समर्पित करेगा। समयबद्ध रीति से पर्यावरणीय एवं अन्य वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करना सफल डाकवक्ता की जिम्मेवारी होगी। अपेक्षित पर्यावरणीय स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की देरी के लिए सफल डाकवक्ता स्वंय जिम्मेवार होंगे एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

iii. **जल एवं वायु सहमतिः–** पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात सफल डाकवक्ता अधिकतम 07 (सात) दिवस के अंदर जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन सक्षम पदाधिकारी के समक्ष सहमति/Consent to Establish/ Consent to Operate प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा।

iv. **खनन के लिए अनुमत मात्राः–** खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्राप्त सहमति मे वर्णित बालू की मात्रा (इनमें से जो भी न्यूनतम हो) तक ही खनन अनुमान्य होगा।

v. बिना किसी वैध कारण के पर्यावरणीय स्वीकृति, Consent to Establish/ Consent to Operate /जल एवं वायु सहमति प्राप्त नहीं कर पाते है या प्राप्त करने में रूचि नहीं लेते है तो, उपायुक्त द्वारा Performance Security जप्त कर पुनः नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।

(22) आवंटन विलेख/पट्टा संविदा (डीड) निष्पादन करनाः–

i. सफल डाकवक्ता द्वारा सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त, 5 वर्षों की अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु समानुदान/आवंटन किया जाएगा। सफल डाकवक्ता झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संषोधित के विहित प्रपत्र में खनन पट्टा संविद निष्पादित करेगा। खनन पट्टा की अवधि, पट्टा संविद निष्पादन की तिथि से पॉच वर्षों के लिए विधिमान्य होगा।

ii. निविदा की समाप्ति के पष्चात्, घाटवार आवष्यक वैधानिक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए पट्टा संविद का निष्पादन कर खनन कार्य किया जा सकेगा।

(23) **बालू खनन की अनुमतिः**— खनन पट्टाधारीको सभी अपेक्षित वैधानिक अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करने, अपेक्षित किस्त का भुगतान करने एवं पट्टा संविदा निष्पादन के बाद बालू खनन की अनुमति दी जाएगी।

(24) **भुगतान की शर्तेंः**—

नीलामी/आवंटन की राशि की वसूली Jharkhand Sand Mining Rules, 2025 के नियम—6(V) के अन्तर्गत की जाएगी जो निम्नवत् है —

a. Bid amount shall be for the period of first year of allocation that will start from the execution of Lease deed. Bid amount for the second and subsequent year shall be One Hundred and Ten Percent (110%) of bid amount of the previous lease year.

b. Earnest Money deposit shall be Ten Percent (10%) of the reserve price, that to be deposited by prospective bidder along with their tender document. For Preferred Bidder Performance Security deposit shall be Ten Percent (10%) of annual mineral concessional value as quoted in the auction within 15 working days of issuance of letter of intent (LoI). Performance security deposit shall be adjusted in the last/third installment.

c. initially annual mineral concessional value shall be calculated as per annual mineble sand quantity of District Survey Report and finally as per environmental clearance for the first and subsequent year of lease period, which is term and bid amount that shall be deposited/adjusted proportionately as per following table :-

Sl. No.	Installment	Schedule for payment
1	First Installment (50%)	a. Before granting of first permit for the first year b. 15th March for Subsequent year.
2	Second Installment (25%)	15th October
3	Third Installment (25%)	15th January

In case of failure of payment of installments, the generation of e-challan shall be stopped and its shall be reopen only after payment of advance payment of installment.

d. Royalty and contribution to the District Mineral Foundation Truest of the sand deposit shall be payable as per schedule/table mention in the rule V(c) and income tax, environmental cess, management fee, GST, Stamp value and registration charges etc. shall be paid as per applicable law.

(25) **बालू का विक्रय मूल्यः**— अंतिम उपयोगकर्त्ता अथवा आम जन हेतु बालू का मूल्य बाजार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

(26) **बालू खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रः**— बालू खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र प्रभावी नियमों के अनुसार होगें।

(27) **खनन योग्य मात्रा में वृद्धिः**—

जिन बालूघाटों से बालू खनन 03 मीटर से कम अनुमान्य है, उन बालूघाटों के लिए भविष्य में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय एवं राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा खनन योग्य गहराई 03 मीटर तक अनुमान्य किये जाने की स्थिति में खनन योग्य मात्रा में वृद्धि के अनुसार आवंटन राशि में भी समानुपातिक वृद्धि की जाएगी एवं इसका भुगतान खनन पट्टाधारीको करना होगा।

(28) **खनन योजना का हस्तानान्तरण :–** किसी भी खनिज समानुदान के समयपूर्व समाप्त किये जाने अथवा प्रत्यार्पित किये जाने की स्थिति में अनुमोदित खनन योजना नये खनन पट्टाधारी/समानुदानधारी के साथ आवंटन की स्थिति स्वतः स्थानान्तरित समझी जायेगी।

(29) **पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तानान्तरण :–** सरकार द्वारा विधि मान्य प्रक्रिया से आवंटन/समानुदान रद्द किये जाने पर विधिक कार्रवाई या खनन पट्टाधारी द्वारा प्रत्यार्पित किये जाने की स्थिति में वैसे खनिज अनुदान/पट्टा/बालूघाट/खदान के लिए स्वीकृत पर्यावरणीय जिस अवधि के लिए पूर्व में निर्गत हो, उसे विधिमान्य ईकाई (Entity) को निर्धारित या विस्तारित अवधि के लिए स्थानान्तरित की जायेगी।

(30) **JIMMS पोर्टल–**

(क) खनन पट्टाधारीसभी उपभोक्ताओं (छोटे, मध्यम एवं बड़े) को बालू का विक्रय केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से करेगा। खनन पट्टाधारीद्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभागीय JIMMS पोर्टल पर डाला जाएगा। बन्दोबस्तधारी को विभागीय JIMMS पोर्टल पर प्रतिदिन का खनन, भंडारण का ब्यौरा अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

(ख) बालू ढोने वाले सभी वाहन, बालू के परिवहन के लिए आवश्यक रूप से ई–चालान की प्रिंटेड प्रति साथ रखेगें। Incharge check gate, Mining Inspector, Sub Divisional Magistrate/Any other officers authorised by the collector, District/Assistant Mining Officers, District Collector/District Commissioner, Deputy Director of Mines, Additional Director of Mines/Director of Mines तथा Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary/ Commissioner, Mines के द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा। सफल डाकवक्ता/खनन पट्टाधारीद्वारा बालूघाटो से बालू परिवहन के प्रयोजनार्थ अवैध, अनिबंधित या अनाधिकृत वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा। उल्लंघन की स्थिति में The Jharkhand Sand Mining Rule, 2025 तथा The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 एवं MMDR Act, 1957 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

(31) **पुनर्भरण अध्ययन** (Replenishment study)**:–** खनन पट्टाधारीद्वारा मॉनसून अवधि के पहले और बाद में नदी तल में बालू की मात्रा का पुनर्भरण अध्ययन (Replenishment study) अद्यतन तकनीक का उपयोग करते हुए खान एवं भूतत्व विभाग/खान निदेषालय से मान्यता प्राप्त संस्थानों/एजेंसियो के माध्यम से कराया जाएगा और इसका एक प्रतिवेदन पर एवं उपायुक्त के कार्यालय को समर्पित करना होगा। विभाग/खान निदेषालय/उपायुक्त द्वारा पुनर्भरण अध्ययन क्रियान्वित किए जाने की दशा में, अध्ययन का खर्च संबंधित खनन पट्टाधारी से वसूल किया जाएगा।

(32) **जल संसाधन विभाग से अनापत्तिः–** किसी बालूघाट से बालू उठाने की दशा में यदि लिंक रोड और बालूघाट के बीच कोई प्राकृतिक जल मार्ग सिंचाई नहर पड़ती हो तो खनिज समानुदान धारक जल संसाधन विभाग की पूर्व अनुमति से बालू के परिवहन के लिए अस्थायी संरचनाएँ खड़ा कर सकेगा। पूर्व अनुमति के लिए ऐसे

आवेदन जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता के समक्ष दिए जाएंगे। आवेदन की तिथि के एक माह के भीतर यदि इस संबंध में खनिज समानुदान धारक को कोई विनिश्चय संसूचित नहीं किया जाय तो यह समझा जाएगा कि संबंधित विभाग को इस प्रस्ताव में कोई आपत्ति नहीं है।

(33) खनन पट्टाधारीद्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत Sustainable Sand Mining Managment Guidlines, 2016, Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020, Mines and Mineral Development Act, 1957, झारखण्ड बालू खनन नियमावली, 2025 एवं अन्य संगत नियमावली तथा अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(34) **शास्तिः–** किसी नियम, शर्त्त एवं बंधेज के उल्लंघन के लिए The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017, झारखण्ड बालू खनन नियमावली, 2025, Mines and Mineral Development Act, 1957 एवं अन्य प्रभावी नियमावली/अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

(35) **सामान्य शर्त्तें :–**

(i) निविदादाता/सफल डाकवक्ता/खनन पट्टाधारी द्वारा ई–मेल के माध्यम से किया गया पत्राचार ही मान्य होगा।

(ii) खनन पट्टाधारी को बालू के परिवहन हेतु वाहन के चालक को ऑनलाईन ई–चालान (परिवहन चालान) निर्गत करना होगा। उसकी मूल प्रति (प्रिंट आउट) चालक के पास उपलब्ध रहना चाहिए।

(iii) आवंटन लेने के बाद सभी बालूघाटों के लिये बालू के उत्खनन कार्य में संलग्न सभी सहयोगी व्यक्तियों/प्रबंधकों की सूची, पूर्ण पता एवं फोटो के साथ एक माह के अन्दर संबंधित जिला खनन कार्यालय को उपलब्ध कराना तथा यदि इसमें कोई बदलाव होता है तो उसकी भी सूची संबंधित जिला खनन कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिष्चित करेंगें।

(iv) बालू के उत्पादन एवं प्रेषण के लिये पंजी संधारित करनी होगी। खनन पट्टाधारी विहित प्रपत्र में बालू के उत्पादन तथा प्रेषण से संबंधित मासिक रूप से विवरणी (रिटर्न) ऑनलाईन पोर्टल पर समर्पित करेगा।

(v) **खनन पट्टाधारी नदी तट से बालू प्रेषण के बिन्दु पर एक साईनबोर्ड लगाएगा जिसपर खनन पट्टाधारी का नाम एवं पता, आवंटन की अवधि, स्थानीय मैनेजर का नाम एवं पता तथा बालू का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा। यदि साईन बोर्ड निरीक्षण में नहीं पाया गया तो शास्ति अधिरोपित की जाएगी।**

(vi) खनन पट्टाधारी श्रम विधियों के प्रावधानों के अनुसार आश्रय गृह, पीने का पानी, शिशु गृह (क्रेचेज) तथा फर्स्ट एड किट की व्यवस्था संबंधित बालूघाटों में लगे श्रमिकों के लिए करेगा।

(vii) खनन पट्टाधारीसंबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा तथा स्वयं/ अथवा अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बालूघाटों का प्रचालन करेगा। किसी रूप में किये गये उपपट्टा (सबलेटिंग) के लिए आवंटन रद्द कर दी जाएगी। बालूघाटों/नदी तल तक बालू के परिवहन के प्रयोजनार्थ पहुँच पथ (अप्रोच रोड़) का निर्माण खनन पट्टाधारीद्वारा स्वयं अपने खर्च से किया जाएगा।

(viii) बालूघाट की सुरक्षा की जिम्मेदारी बंदोस्तधारी की होगी।

(ix) खनन पट्टाधारीद्वारा सतत् बालू खनन प्रबंधन मार्गदर्शिका, 2016/2020/पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट शर्त्तों के अनुरूप कार्य किया जाएगा। महिला श्रमिकों से सूर्यास्त के बाद कोई कार्य नही लिया जायेगा।

(x) बालू लदे सभी वाहनों को तारपोलिन से ढककर बालू का परिवहन करना अनिवार्य होगा।

(xi) खनिज की अनुपलब्धता, मार्ग व्यवधान, सीमा विवाद इत्यादि से संबंधित कोई व्यवधान अथवा अन्यान्य कारण से उठाव में बाधा उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा कोई क्षतिपूर्त्ति देय नहीं होगा।

(xii) खनन पट्टाधारीपर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय/SEIAA द्वारा मॉनसून अवधि (10 जून, से 15 अक्टूबर तक प्रति वर्ष) में नदी तल से खनन के लिए अधिरोपित रोक, खनिज संसाधनों की अनुपलब्धता, पहुँच पथ में किसी बाधा, सीमा विवाद अथवा उसके किसी अन्य कारण के चलते उत्पन्न किसी समस्या के कारण बालू के उत्पादन/प्रेषण में उत्पन्न अवरोध की दशा में किसी प्रतिपूर्ति का हकदार नही होगा।

(xiii) खनन पट्टाधारीबंदोबस्त क्षेत्र के भीतर किसी अवैध खनन के लिए जिम्मेवार होगें और पाई गई किसी शिकायत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा खनन पट्टाधारीके विरूद्ध अपराधिक मामला दायर किया जाएगा।

(xiv) खनन पट्टाधारीउपायुक्त द्वारा बालूघाटों के संचालन के संबंध में लोकहित में जारी निर्बंधनों और शर्त्तों तथा निदेशों का पालन करेगा।

(xv) उपर्युक्त शर्त्तों का पालन नहीं करने पर कारण पृच्छा निर्गत कर आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी ।

(xvi) खनन पट्टाधारी को खनन राजस्व का भुगतान नही करने की दशा में 90 दिनों के अंदर कारण स्पष्ट करने हेतु नोटिस दी जायेगी। निर्धारित अवधि के अंदर खनन पट्टाधारीद्वारा बकाए का भुगतान करने में असफल रहने की दशा में राशि वसूली की कार्रवाई के साथ–साथ आवंटन रद्द करने की भी कार्रवाई की जाएगी।

(xvii) निविदादाता निविदा में भाग लेने के पूर्व अक्षांश–देशांतर के आधार पर तैयार किये गए नदी में बालूघाट क्षेत्रों में बालू की उपलब्धता, बालू निकासी हेतु परिवहन मार्गों, जल संसाधन विभाग के नदी में प्रतिबंधित क्षेत्रों तथा अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों के आलोक में अपने स्तर से तकनीकी जाँच कराकर पूर्ण रुप से संतुष्ट हो लेंगें। नीलामी के पश्चात किसी प्रकार का कोई आपत्ति/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(xviii) नीलामी हेतु प्रस्तावित बालूघाटों से संबंधित तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं यथा भूमि के अंचल, थाना, मौजा, खाता, खेसरा, रकबा तथा GPS Co-ordinate के संबंध में विवाद/त्रुटि पाए जाने पर संशोधन का अधिकार संबंधित जिला खनन कार्यालय का होगा। बालूघाटों का सीमांकन एवं नियमानुसार निर्धारित आयाम/विशिष्टियों का सीमा स्तंभ का अधिष्ठापन GPS Co-ordinate के अनुसार बालू खनन पट्टाधारीको कराना होगा तथा खनन के क्रम में संधारित कराना खनन पट्टाधारीकी जवाबदेही होगी, जिसे खान निरीक्षक की उपस्थिति में प्रमाणित कराकर खनन कार्य कराना होगा।

(xix) बालू का विक्रय निबंधित एवं व्यवसायिक वाहन के माध्यम से ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में अनिबंधित एवं बिना वाहन संख्या के (unrealistic vehicle) वाहन से बालू का विक्रय नही किया जायेगा। उल्लंघन किये जाने की स्थिति में जमा Performance Security जप्त कर ली जायेगी।

(xx) बालू खनन पट्टाधारीको बालू लदे भारी वाहनों का परिवहन जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों एवं बांधो पर निर्मित प्रतिबंधित सड़क या परिवहन विभाग द्वारा प्रतिबंधित सड़क/पुल–पुलिया से नहीं करना है।

(xxi) बालूघाट में रैयती/बंदोबस्त जमीन होने पर संबंधित रैयत से सहमति प्राप्त कर बालू का खनन करना होगा। यह जिम्मेदारी पूर्णतः खनन पट्टाधारीकी होगी एवं जिला खनन कार्यालय/उपायुक्त का कार्यालय से कोई क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

(xxii) निकाले गये खनिजों के लिए वार्षिक आधार पर की गई स्वामिस्व की संगणना वार्षिक आवंटन की राशि से अधिक होने पर खनन पट्टाधारीद्वारा निकाली गई अतिरिक्त मात्रा के लिए आवंटन राशि के अतिरिक्त स्वामिस्व का भुगतान करना होगा।

(xxiii) खनन पट्टाधारी को सड़क, परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय भारत सरकार के विशिष्टियों के अनुरूप **GPS युक्त वाहन ही प्रयोग करना होगा**। सफल डाकवक्ता/खनन पट्टाधारीपरिवहन चालान विभागीय पोर्टल में निबंधित वाहनों के लिए ही निर्गत करेंगे, जो GPS युक्त हो एवं जिसकी Tracking हेतु विभागीय पोर्टल पर डाटा शेयर किया जा सके।

(xxiv) सर्वर मेन्टेनेन्स या विधि व्यवस्था हेतु ई–चालान बन्द किया जा सकता है एवं इस अवधि हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।

(xxv) खनन पट्टाधारीद्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति क्षेत्र से बाहर न स्वंय खनन करना है और न ही किसी को करने देना है। संबंधित बालूघाट से 100 मीटर की परिधि में यदि अवैध खनन पाया जाता है एवं इसकी सूचना यदि खनन पट्टाधारीद्वारा संबंधित उपायुक्त का कार्यालय/जिला खनन कार्यालय को नही दी जाती है, तो संबंधित खनन पट्टाधारी की संलिप्तता मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई किया जायेगा।

(xxvi) खनन पट्टाधारी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति क्षेत्र से बाहर खनन करने, निर्धारित गइराई से ज्यादा खनन करने, पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रावधानों के विरूद्ध खनन करने एवं खनन योग्य मात्रा से अधिक खनन करने की कृत को अवैध खनन माना जाएगा एवं The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) rules 2017 के नियम के तहत संबंधित खनन पट्टाधारीके विरूद्ध जुर्माना राशि अधिरोपित की जाएगी। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर वसूली हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

(xxvii) खनन पट्टाधारी द्वारा बालूघाटों से बालू का परिवहन The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) rules 2017 के प्रावधानों एवं इस संबंध में अन्य अधिसूचित नियम के तहत किया जाएगा। अनियमितता की स्थिति में उपरोक्त नियमावली के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

(xxviii) खनन पट्टाधारी द्वारा आवंटन अवधि के दौरान किसी भी कारण से खनन कार्य नहीं करने की स्थिति में, किसी भी प्रकार का मुआवजा/नुकसान एवं क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

(xxix) ई–नीलामी एवं बालूघाट की आवंटन अवधि के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद का निपटारा सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(xxx) खान निदेषालय/उपायुक्त आवश्यकता पड़ने पर बालूघाटों का सर्वेक्षण कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बालूघाटों से बालू खनन की पूरी प्रक्रिया प्रचलित नियमों/प्रावधानों के अनुरूप हो रही है।

****

अनुलग्नक–2

ई–नीलामी के माध्मय से आवंटन हेतु बालूघाटों की विवरणी

जिला–

क्रमांक	आवेदक का नाम एवं पता	बालूघाट/बालूघाटों के समुह की विवरणी	अग्रधन राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम–
मोहर–

नोटः– *निविदादाता प्रकाशित निविदा में वर्णित बालूघाटों में से जिस/जिन बालूघाटों के लिए निविदा देने हेतु इच्छुक है सिर्फ उसी को भरकर निविदा प्रपत्र अपलोड़ करेगें।*

अनुलग्नक–3

बालूघाट/बालूघाटों के समुह की नीलामी हेतु तकनीकी निविदा का प्रपत्र

(निविदादाता अपने लेटर–हेड अथवा सादा कागज का प्रयोग करें।)

व्यक्ति का फोटो (व्यक्ति विशेष को छोड़कर अन्य मामले में प्रबंधक/मैनेजिंग पार्टनर का फोटो)

1. निविदादाता का नाम (व्यक्ति विषेष के मामलों में, अन्यथा समिति या प्राईवेट लि0 कम्पनी या फर्म या HUF के मामले में प्रबंधक/अधिकृत हस्ताक्षर करने वालो का नाम) :
2. पिता का नाम (व्यक्ति विषेष के मामलों में, अन्यथा समिति या प्राईवेट लि0 कम्पनी या फर्म या HUF के सचिव/प्रबंधक/अधिकृत हस्ताक्षर करने वाले के पिता का नाम) :
3. पत्राचार का पता :
4. ई–मेल :
5. स्थायी पता :
6. सम्पर्क हेतु दूरभाष सं0 : (कार्या0) (आ0) (मो0)
7. पैन कार्ड संख्या एवं आधार कार्ड संख्या (स्वः अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) :
8. बकाया रहित प्रमाण–पत्र (कृपया स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) संबंधित जिला से स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाण पत्र :
9. Chartered Accoutant द्वारा सत्यापित वित्तीय वर्ष–2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 Annual Accounts (Profit and Loss Account सहित) की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें :
10. स्वअभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साईज फोटों :
11. GST निबंधन प्रमाण–पत्र/पूर्व से निबंधित नही रहने पर एक माह के अंदर निबंधन करा लेने संबंधी शपथ–पत्र :
12. कम्पनी के मामलें में वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 का आयकर रिटर्न। अन्य मामलों में वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के आयकर विवरणी की स्वअभिप्रमाणित प्रति। :
13. समिति /फर्म/HUF/प्राईवेट लि0 कम्पनी के मामले में अद्यतन अंकेक्षण रिपोर्ट :
14. मेमोरेण्डम/आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन/उप नियमः (कृपया संलग्न करें)(व्यक्ति विशेष को छोड़कर अन्य के मामले में)
15. साझेदारी फर्म के मामले में साझेदारी दस्तावेज :

की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

16. जिला का नाम :

17. बालूघाट ईकाई का विवरण जिसके लिये :

निविदा दी गई है। :

18. अग्रधन की राशि तथा उसका पूर्ण विवरण :

i. बैक एवं शाखा का नाम–

ii. UTR No.-

iii. तिथि–

iv. राशि–

v. निविदादाता का बैंक खाता संख्या–

तिथि–

नाम एवं हस्ताक्षर

अनुलग्नक–4

पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत आगामी पाँच वर्षो के लिए बन्दोबस्ती हेतु बालूघाटों की विवरणी

S N	River Name	Sand ghat Name	Area in (Ha.)	Geo coordinates		Mineable Quantity (in Cft)	Minimum Reserve Price (in Rs)	Remarks
				Latitude	Longitude			
1	दक्षिणी कोयल	अभयपुर–धानापाली–डोमलाई	43.00	1) 22⁰ 20' 0.96"N 2) 22⁰ 19' 55.63"N 3) 22⁰ 19'52.97"N 4) 22⁰ 19' 23.80"N 5) 22⁰ 19'33.96"N 6) 22⁰ 19 51.94"N	1) 85⁰ 7' 59.15"E 2) 85⁰ 7' 59.28"E 3) 85⁰ 7' 38.71"E 4) 85⁰ 7' 10.47"E 5) 85⁰ 7' 5.42"E 6) 85⁰ 7' 21.28"E	13857180.00	₹177371904	
					Total	**13857180.00**	**₹177371904**	

घोषणा पत्र

1. यह कि मैं भारत का नागरिक हूँ एवं मेरी उम्र 21 वर्ष से अधिक है।
2. यह कि प्रारम्भिक वित्तीय प्रस्ताव (Initial Price Offer) Reserve Price/ Base Price के समान या उससे अधिक समर्पित की गयी है।
3. यह कि निविदा दस्तावेजों की सभी शर्त्ते मुझे मान्य है।
4. यह कि मुझे ज्ञात है कि Jharhkand Sand Mining Rules, 2025 के तहत अधिकतम 1000 हे० तक के रकबा हेतु बालूघाटों का समनुदान मेरे पक्ष में किया जा सकेगा। अतएव 1000 हे० से अधिक रकबा के बावत उच्चतम डाकवक्ता घोषित होने की स्थिति में अंतिम परिणाम, जिसका रकबा घटाते हुए कुल समनुदान का रकबा 1000 हे० या उससे कम होगा, के संदर्भ में लिया गया निर्णय मान्य होगा।
5. यह कि मेरा/मेरे सभी साझेदारों/निदेषक मंडल के सभी सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 यथा संषोधित एवं इसके अधीन प्रतिपादित नियमावली के तहत दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया हूँ एवं मैं तथा मेरे HUF/फर्म/कम्पनी सक्रिय रूप से अवैधानिक गतिविधियों/असमाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि आवंटन प्राप्त होने के पष्चात भी यह प्रमाणित हो जाता है कि मैं/मेरा/HUF/मेरे साझेदारी फर्म के साझेदार/मेरे कम्पनी के निदेषक मंडल के सदस्य अवैधानिक गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो मुझें/HUF/साझेदारी फर्म/कम्पनी को प्रदान की गयी आवंटन निरस्त कर दी जाए।
6. यह कि मैं/मेरा HUF/मेरा साझेदारी फर्म/मेरी कम्पनी बालूघाट का आवंटन प्राप्त करने के पष्चात बालूघाट को किसी अन्य व्यक्ति को सबलीज नहीं करूँगा।
7. यह कि निविदा दस्तावेज के साथ समर्पित सभी शपथ पत्र में दिये गये सभी कथन पूर्णतः सत्य है और किसी तथ्य को छुपाने पर इसकी जानकारी बाद में यदि विभाग/निदेषालय/उपायुक्त/जिला खनन कार्यालय को मिलती है, तो मेरी/मेरा HUF/मेरी साझेदारी फर्म/मेरी कम्पनी को बालूघाट का आवंटन रद्द किया जा सकता है। इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगा तथा मेरे द्वारा क्षतिपूर्ति का कोई दावा नहीं किया जाएगा।

निविदादाता का हस्ताक्षर एवं मुहर